

अपना अधिकार जानिए

नोट: यह दस्तावेज़ नाकी सारे लेकिन कुछ 'कतर श्रम और आव्रजन क़ानूनों' के कार्यकर्ता के अधिकारों को बताता है; (और भी अधिकार हैं) कार्यकर्ता किसी भी क़ानूनी और नियामक अधिकारों से संबंधित प्रश्न के लिए श्रम विभाग को संपर्क करें (सभी काम से संबंधित दस्तावेज़ों के साथ)

मुद्दा

आपका अधिकार



वादा वेतन (कटौती और अतिरिक्त समय के विवरण सहित)

आप को अपनी सर्विस कांट्रैक्ट (Service contract) में बताया गया वादा वेतन का पूरा अधिकार है (सर्विस कांट्रैक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर कांट्रैक्ट या इयुयल लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं)

आप को अपने खुद के वेतन प्राप्त करने का और हर महीने कम से कम एक बार भुगतान मिलने का अधिकार है

आप को नियमित काम के घंटे से अतिरिक्त काम किए गये घंटे (अर्थात ओवरटाई - overtime) भुगतान का अधिकार है

आप को वेज संरक्षण प्रणाली के तहत (वेज प्रोटेक्शन सिस्टम - Wage Protection System), आपके बैंक खाते में अपने वेतन प्राप्त करने का अधिकार है

इससे पहले की आप वार्षिक छुट्टी पर कतर से बाहर निकलें आप को अपने नियोक्ता से सभी बकाया राशि का अधिकार है



काम के घंटे

एक दिन में आप के काम के घंटे आठ (8) से अधिक घंटे नहीं होना चाहिए, रमजान को छोड़कर. रमजान में आपके काम के घंटे छह (6) घंटे होते हैं

आप को कार्य दिवस के दौरान आराम करने का अधिकार है (प्रार्थना या भोजन के लिए)



पासपोर्ट (passport) और पहचान (ID card)

आप को अपने पासपोर्ट अन्य यात्रा दस्तावेज़ अपने कब्जे में रखने का अधिकार है; आप अपने नियोक्ता को निवासी परमिट (residence permit) या पासपोर्ट के नवीकरण (passport renewal) के लिए दे सकते हैं



अनुबंध (contract)

आप को अपने नियोक्ता के साथ सेवा अनुबंध की कॉपी रखने का अधिकार है

सेवा अनुबंध में यह शामिल होना चाहिए:

- नियोक्ता और काम की जगह का नाम,
- आपका नाम, योग्यता, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, पाते और पहचान के सबूत,
- दिनांक जिस पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं,
- किस तरह का काम, काम की प्रकृति या प्रकार और जगह जिस में अनुबंध बनाया जाता है,
- दिनांक जिस पर आप का काम शुरू होगा,



मुद्दा

आपका अधिकार



अनुबंध (contract)

- अनुबंध की अवधि,
- अपने वेतन, समय और भुगतान की विधि

आपका परिवीक्षा अवधि छह (6) महीने या उससे कम के लिए होना चाहिए, इस के ऊपर किसी भी समय अवधि अवैध या ग़लत है



साप्ताहिक बंद, सार्वजनिक छुटियाँ

आप को साप्ताहिक एक दिन/चौबीस (24) सीधे घंटे की छुट्टी लेने का अधिकार है. यह दिन भुगतान दिन है

अगर आप छुट्टी के दिन पर काम करते हैं, तो आप को ओवरटाई भुगतान या किसी और दिन छुट्टी मिलने का अधिकार है

आप को हर साल दस भुगतान दिन का अधिकार है: तीन दिन हर ईद की छुट्टियों के छह दिन (6), कतर राष्ट्रीय दिन के लिए एक दिन (1), और तीन कार्य दिवसों अपने नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट (इसके अलावा कतर राष्ट्रीय खेल दिवस जब अपने नियोक्ता एक खेल गतिविधि की व्यवस्था करेंगे, तो एक कार्य दिवस के हकदार होंगे)



आवास/रहने की जगह

आप को कंपनी-प्रदान की आवास/रहने की जगह या उसके बदले में भत्ता/पैसे का अधिकार है (आपकी सेवा अनुबंध के अनुसार)

आप को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण/रहने की जगह का अधिकार है

आपको सिर्फ अनुबंध में निर्दिष्ट जगह पर ही काम करने की आवश्यकता है किसी भी अन्य जगह में काम गैर क़ानूनी है

जब आप अपनी छुट्टी पर हैं, आप को एक सही रोज़गार से समाप्त (काम से निकाला) नहीं जा सकता है, यह आपका अधिकार है

आप अपने सेवा अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखते हैं, अगर आपका नियोक्ता शारीरिक रूप से आप पर हमला कर रहा है या यदि आप को अपने काम की स्थिति के बारे में गुमराह किया गया है (उदाहरण के लिए)

आपकी सेवा अनुबंध के अंत में, आप को सेवा प्रमाण पत्र और अपने नियोक्ता के साथ अन्य दस्तावेज़ों, अपने प्रमाण पत्रों की वापसी का अधिकार है

एक सेवा वर्ष से अधिक पूरा करने पर, अंत सेवा ग्रेच्युटी (End of Service Gratuity) लेने का अधिकार है

अनुबंध के अंत में अपने नियोक्ता से टिकट किराया (flight ticket) का अधिकार रखते हैं

आप अच्छा वेंटिलेशन, पीने का पानी और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था के साथ एक सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से काम करने के लिए जगह का अधिकार है

